(वाद सं0.-5970/4/23/2020)

08.10.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह(सेवा निवृत सहायक निदेशक, ईख, विकास, दरभंगा) के बकाये वेतनादि का भुगतान नही किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गई थी। प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार की ओर से **अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, पटना** द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार **"श्री सिंह(शिकायत कर्त्ता) सेवा निवृत सहायक निदेशक, ईख, विकास ने लिखित रूप से बकाया भुगतान प्राप्त हो जाने की सूचना अपने आवेदन दिनांक–01.03.2021 के द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी है, जिसके माध्यम से श्री सिंह ने सूचित किया है कि उनके सभी लम्बित बकाया वेतनादि का भुगतान प्राप्त हो चुका है एवं इसके उपरान्त वो अपना शिकायती पत्र वापस लिया है।"**

स्वयं परिवादी, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, भी राज्य आयोग में दाखिल अपने प्रत्युत्तर में सूचित किया है कि सभी लंबित बकाये वेतनादि का भुगतान विभाग के द्वारा उसे भुगतान किया जा चुका है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के प्रत्युत्तर को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर **संचिकास्त** किया जाता है।

तद्नुसार , आज पारित आदेश की प्रति को संलग्न करते हुए परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक